MEERUT
CITIZENS
FORUM

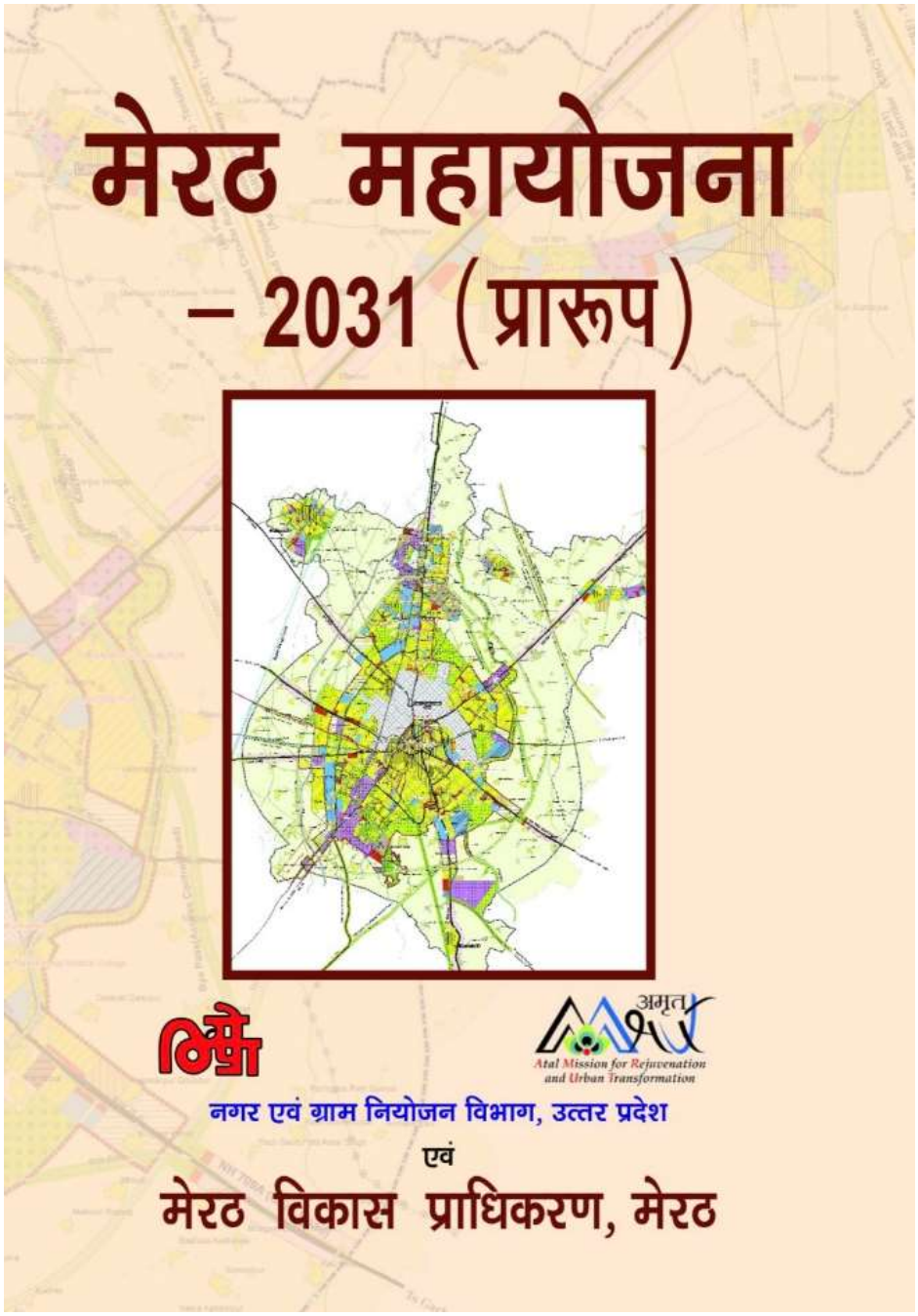

मेरठ महायोजना (प्रारूप) 2031 पर

मेरठ सिटीजन फोरम

द्वारा आपत्तियाँ एवं सुझाव

- विकास क्षेत्र में संशोधन की आवश्यकता है। कुछ ग्राम आंशिक दर्शाये है, जबकि नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख नही है।
- वर्तमान भू उपयोग मानचित्र में दर्शाये गये निर्माणों को महायोजना में नही दर्शाया गया है तथा इनके आकार भी मेल नही खाते है। उन्हें अन्य भू उपयोग में दर्शाया गया है।
- कुछ वर्तमान मार्गो को महायोजना मानचित्र में महायोजना मार्ग न दिखाकर प्रस्तावित मार्ग दर्शाया है।
- वर्तमान हवाई पट्टी को भी ठीक से सम्मिलित नहीं किया गया हैं। हवाई अड्डे को शहर से सीधे पहुँच रास्ते से भी नही जोडा गया है।
- दौराला की आबादी को सही रूप से नही दर्शाया गया है।
- शहर के पूर्व की ओर बाहय रिंग रोड के साथ अन्य मार्ग भी प्रस्तावित किया गया है। जबकि कृषि क्षेत्र में दो समान्तर मार्गो का कोई औचित्य नहीं होता है।
- महायोजना में अधिकतर कॉमर्शियल क्षेत्रो को प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के अन्त में बहुत बडे क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया है।
- महायोजना की हिन्दी रिपोर्ट, अंग्रेजी रिपोर्ट एवं मानचित्र एक दूसरे से मेल नही खाते है।
- महायोजना में निर्मित क्षेत्र को निर्मित आवसीय क्षेत्र दर्शाया है। यह उचित नही है क्योकि समस्त क्षेत्र में मिश्रित क्रियाये है। महायोजना में बाजार क्षेत्र नही दर्शाया है। वर्तमान परिस्थिति में बाजार क्षेत्र में कॉमर्शियल भू प्रयोग की स्वीकृति हेतु कोई प्रभावी शुल्क देय नही होना चाहिए। हिन्दी रिपोर्ट में इस क्षेत्र हेतु जो बाइलॉज दिए है, वह व्यवहारिक नही है । अतः संशोधित किए जाए।

- महायोजना में बिल्डिंग बाइलॉज दिए ही नही है हिन्दी की रिपोर्ट पृष्ठ सं0 119 में बाजार क्षेत्र/सघन बाजार क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्ताव दिए है जो अव्यवहारिक है। शासन द्वारा जारी नियमो के अनुरूप भी नही है। उन्हे संशोधन किया जाए।
- महायोजना में दिए गये जोनिंग रेगुलेशन में भी बहुत अधिक त्रुटियाँ है। मानचित्र में दिए लीजेंड के अनुसार समस्त भू उपयोग हिन्दी और अंग्रेजी की रिपोर्ट से मेल नही खाते है। इसमें निर्मित क्षेत्र को भी नही दर्शाया है। अधिकतम मानचित्रो की स्वीकृति में प्रभाव शुल्क का प्राविधान किया गया है। आज के परिपेक्ष में व्यवहारिक नही रह गया है, चूंकि प्रभाव शुल्क का प्रविधान उ0प्र0 में सर्वप्रथम 2002 में किया गया था, जो सर्किल रेट के आधार पर है। वर्ष 2002 से 2022 तक सर्किल रेट में लगभग 20 गुना की वृद्धि हो गयी है। वर्ष 2031 तक इसमें और बढने की प्रबल सम्भावनाए है, ऐसी स्थिति में उसी को आधार मानकर प्रभाव शुल्क लेना न्याय संगत प्रतीत नही होता है।
- महायोजना 2031 में जोनिंग रेगुलेशन में उच्च भू उपयोग में निम्न उपयोग की अनुमन्य क्रियाओ की भी प्रभाव शुल्क की देयता दर्शायी है, जो आश्चर्यजनक है।
- ग्रीन वर्ज की चौडाई भी महायोजना मानचित्र पर अंकित नही है। यह भी उचित होगा कि, इसे प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के बाद से प्रस्तावित किया जाए।
- दौराला क्षेत्र की महायोजना में बहुत बडा क्षेत्र भारी उद्योग हेतु प्रस्तावित है जिसका पहुँच मार्ग उचित नही है। अतः इस प्रकार का प्रस्ताव यहाँ से हटाया जाए।

- मेरठ में हाईकोर्ट की बेन्च आने की प्रबल सम्भावना है। अतः इसके लिए कोई भी प्रस्ताव महायोजना में नही है।
- मेरठ एन0सी0आर0 के अन्तर्गत पडता है, और मेरठ एन0सी0आर0 क्षेत्र का सबसे बडा नगर है। अतः उचित होगा कि इसके समस्त बिल्डिंग बाइलॉज, जोनिंग रेगुलेशन डी0डी0ए0 एव नोएडा के आधार पर प्रस्तावित हो।
- मेरठ महायोजना में मेरठ नगर की जनसंख्या 2031 हेतु 2117941 प्रोजेक्ट की गई है। जबकि एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना में मेरठ नगर की जनसंख्या 2031 हेतु 2612628 दर्शायी है। इसे ठीक किया जाए।
- एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना प्रारूप 2041 में इस क्षेत्र हेतु बहुत सारे प्रस्ताव दिए गये है। मेरठ महायोजना को अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि, इस बारे में महायोजना बनाते समय एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना प्रारूप 2041 का अध्ययन ही नही किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 की वर्ष 2027 में जीडीपी एक ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। मेरठ महायोजना के उद्देश्यो में Socio Economic Development पर जोर दिया है, परन्तु महायोजना में Unorganised sector हेतु जो कुल work force जो लगभग 70 प्रतिशत है, परन्तु इस संबन्ध में कोई प्रस्ताव नही दिया गया। जैसे तीन पहिया वाहन हेतु स्टैण्ड, पार्किंग (मल्टीलेवल पार्किंग सहित) वेंडर हेतु साप्ताहिक बाजार हेतु कोई दिशा निर्देश आदि नही है।
- बैंकट हॉल हेतु प्रत्येक मुख्य मार्ग पर नीति अन्तर्गत प्रस्ताव दिए जाने चाहिए।
- नगर के अन्तर्गत महायोजना मार्गो की प्रस्तावित चौडाई जो रखा जाना सम्भव नही है। अतः उसे निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थल के अनुसार यथावत मानते हुए मानचित्र स्वीकृत किए जाए।

- मेरठ से दिल्ली की ओर नगर के दक्षिण भाग में उद्योग/आवास सम्बन्धी प्रस्ताव दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- मेरठ दौराला पानीपत रेल मार्ग को महायोजना में नही दर्शाया गया है।
- मेरठ महायोजना में जो नये क्षेत्र सरधना, बहसूमा, लावड, मवाना, हस्तिनापुर शामिल किये गये है। उसकी फीस उनके बिल्डिंग बाईलॉज, जोनिंग रेगुलेशन शिथिल रखते हुए अलग से प्रस्तावित होने चाहिए। ग्रामीण आबादी का विस्तार किस प्रकार होगा, के बारे में नीति निर्धारण होना चाहिए।
- महायोजना में 102 अनाधिकृत कालोनियो की सूची दी गयी है, जो वास्तव में इससे कही अधिक है। अधिकतर कालोनियां काफी समय से विकसित है। अतः प्रस्तावित है कि, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस आधार पर अनाधिकृत कालोनी रेगुरलाइज की गई है। उसी के आधार पर इन्हे रेगुरलाइज किया जाये।
- मेरठ महायोजना (प्रारूप) 2031 में इतनी अधिक त्रुटियां है सबको लिख पाना सम्भव नही है इसके अतिरिक्त इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी नही किया गया है। विशेषकर सम्मलित भी किए गये नये क्षेत्रो में। यहाँ पर कहना अनुचित न होगा कि, इससे अच्छा होता कि, पुरानी महायोजना 2021 का ही समय 2031 तक बढा दिया जाता। अतः सुझाव है कि, महायोजना को विस्तृत रूप से अध्ययन कर उसे ठीक कर पुनः जनता से आपत्तियां एंव सुझाव प्रापत करने हेतु प्रकाशित किया जाए, ताकि महायोजना को सही रूप से अन्तिम रूप दिया जा सके।

Meerut Development Masterplan - Input

MEERUT CITIZENS FORUM

ECONOMY OF MEERUT CITY

Meerut being part of NCR has a big locational advantage due to its proximity with Delhi. Multiple big infrastructure projects like Rapid Rail Transport System, Dedicated Freight Corridor, Delhi Meerut Expressway etc. will further enhance city's connectivity. This should help Meerut to witness robust growth and contribute to CM Yogi's plan of taking the UP economy to $1 TRN by 2027.

	Now	**2027***
India GDP	$ 2.5 Trillion	$ 5 Trillion
UP GDP	$ 250 Billion	$ 1 Trillion
Meerut GDP	$ 6.2 Billion	$ 25 Billion
India per capita income	$ 1,900	$ 3,800
UP per capita income	$ 930	$ 3,720
Meerut per capita income	$ 1,420	$ 5,680

WORKING POPULATION OF MEERUT CITY

	Projected by 2027
Total Population	20,00,000
Working Population	8,00,000
Self-employed Population	5,00,000

As per CSO statistics of 2019, almost 60% of workforce is self-employed/unorganized workers - e.g. – shopkeepers, domestic workers, security guards, street hawkers, light transport & non-transport drivers, technicians, home based enterprises etc. These 5 to 6 lacs self - employed people provide a sizeable contribution to the economy, but have largely been ignored by the local administration and face daily hurdles impacting their ability to grow due to their unauthorized status. To achieve the $1 trillion GDP by 2027 it's very important that this workforce is able to grow their business activity.

RELIEF TO SELF-EMPLOYED WORK FORCE: For increase in per capita income, the economic growth of self-employed people, the biggest section of working population is of utmost importance. In order to help this workforce a relief mechanism by way of a moratorium of 10 years from payment of house tax, mixed land use, electricity charges as per domestic slab etc. should be proposed.

**2027 projection are as per stated goal of Govt. of India and Govt. of UP respectively*

***2027 projection are as per projected GDP in aforementioned table*

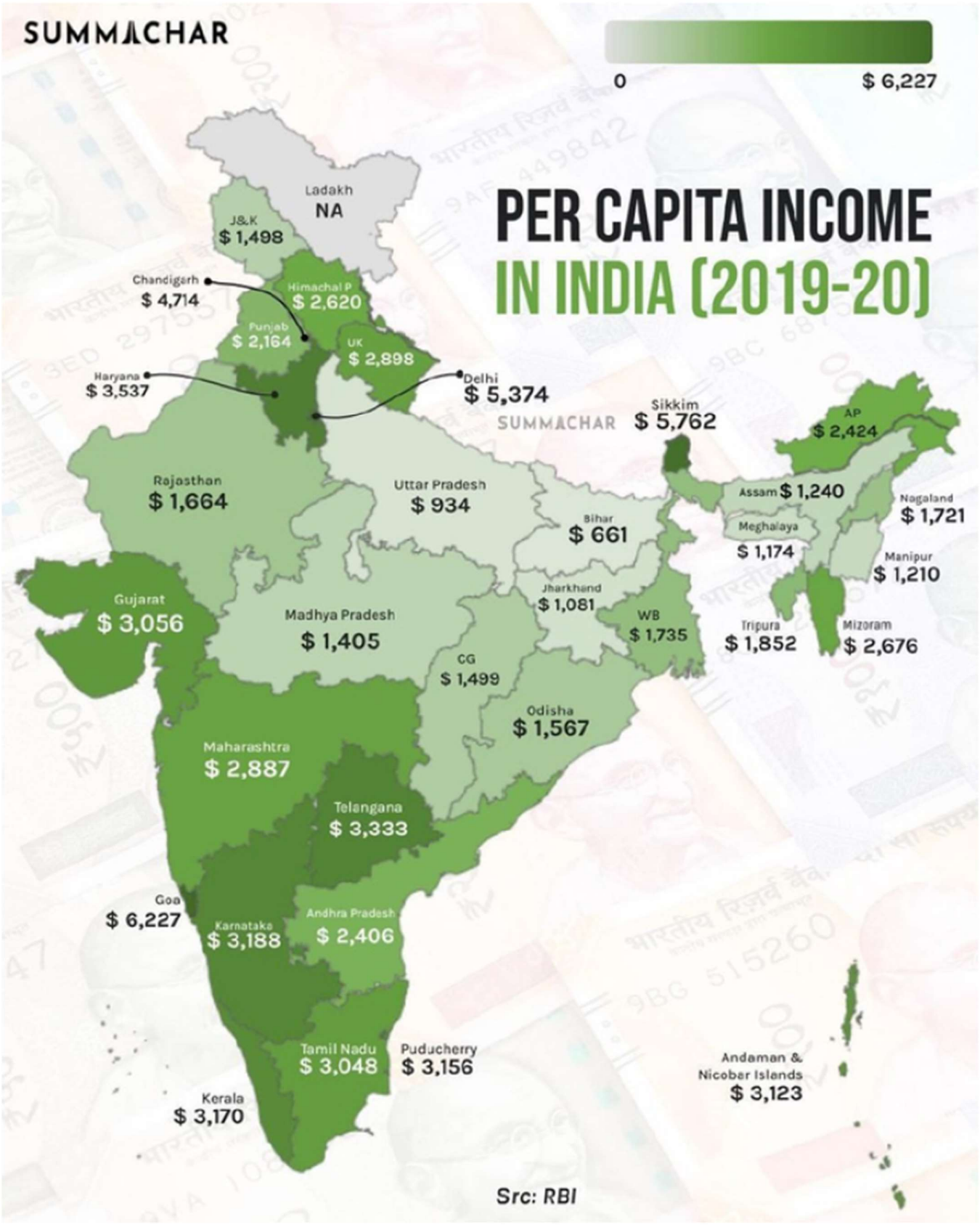
SUMMACHAR
0
$ 6,227
PER CAPITA INCOME
IN INDIA (2019-20)
Ladakh
NA
J&K
$ 1,498
Chandigarh
$ 4,714
Himachal P
$ 2,620
Punjab
$ 2,164
UK
$ 2,898
Haryana
$ 3,537
Delhi
$ 5,374
SUMMACHAR
Sikkim
$ 5,762
AP
$ 2,424
Rajasthan
$ 1,664
Uttar Pradesh
$ 934
Bihar
$ 661
Assam $ 1,240
Nagaland
$ 1,721
Meghalaya
$ 1,174
Manipur
$ 1,210
Jharkhand
$ 1,081
Gujarat
$ 3,056
Madhya Pradesh
$ 1,405
WB
$ 1,735
Tripura
$ 1,852
Mizoram
$ 2,676
CG
$ 1,499
Odisha
$ 1,567
Maharashtra
$ 2,887
Telangana
$ 3,333
Goa
$ 6,227
Karnataka
$ 3,188
Andhra Pradesh
$ 2,406
Tamil Nadu
$ 3,048
Puducherry
$ 3,156
Kerala
$ 3,170
Andaman &
Nicobar Islands
$ 3,123
Src: RBI